

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

कार्यालय महाप्रबंधक(प्रशासन), ईस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली-110001

इनडोर चिकित्सा बीमा योजना के संबंध में एमटीएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

तिथि 04/09/2024

1. यह सूचित किया जाता है कि वर्तमान एमटीएनएल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा योजना यानी सीजीएचआईएस 30/09/2024 को समाप्त हो रही है। यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी पेंशन (संयुक्त पेंशन या प्रो राटा पेंशन) लेने वाले एमटीएनएल से सेवानिवृत्त लोगों की सीजीएचआईएस सुविधा 30/09/2024 से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
2. इसलिए सभी सीजीएचएस योग्य एमटीएनएल सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे 30/09/2024 के बाद किसी तरह की आपात चिकित्सा सहायता लेने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए 30/09/2024 से पहले सीजीएचएस में पंजीकरण सुनिश्चित करें। इसके लिए चिकित्सा अनुभाग, मुख्यालय कार्यालय-महाप्रबंधक (प्रशासन), ईस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली- 110001 से एनओसी प्राप्त करना सुनिश्चित करें और एनओसी प्राप्त करने के लिए कृपया विधिवत भरे हुए निर्धारित फॉर्म (प्रतिलिपि संलग्न) के साथ पीपीओ, रिलीविंग ऑर्डर की प्रति लेकर आये।
3. इस संबंध में किसी जानकारी के लिए या एमटीएनएल से एनओसी प्राप्त करने में आवश्यक सहायता के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है -

1. श्री. अमित भास्कर	उप. प्रबंधक (एमआर) मुख्यालय	9013504064
2. श्री. रवि कुमार शर्मा	टीओए (जी), मुख्यालय	9868287999
3. श्री. मनोज कुमार	टीओए (जी), मुख्यालय	9013131974
4. श्री. विनय कुमार जयंत	टीओए (जी)	9013342787

IMPORTANT NOTICE FOR MTNL RETIRED EMPLOYEES REGARDING INDOOR MEDICAL INSURANCE SCHEME

Dated: 04/09/2024

1. It is intimated that current MTNL retired employees medical scheme i.e. CGHS is expiring on 30/09/2024. It has been decided that CGHS facility will not be extended beyond 30/09/2024 to the MTNL retirees drawing government pension (Combined pension or getting Pro rata pension).
2. Hence all CGHS eligible retired employees are requested to enroll themselves in the CGHS facility before expiry of ongoing MTNL Retired Employee Medical Scheme CGHS to avoid any inconvenience in case of any medical emergency after 30/09/2024. All the MTNL retirees are requested to ensure to collect NOC from Medical Section, HQ O/o- GM (Admin), Eastern Court, Janpath, New Delhi- 110001. Kindly bring copy of PPO, Relieving order along with duly filled prescribed form. (Copy attached)
3. For any query in this regard or help needed in collecting NOC from MTNL, following officers/officials may be contacted –

1. Sh. Amit Bhaskar	Dy. Manager (MR), HQ	9013504064
2. Sh. Ravi Kumar Sharma	TOA (G), HQ	9868287999
3. Sh. Manoj Kumar	TOA (G), HQ	9013131974
4. Sh. Vinay Kumar Jayant	TOA (G)	9013342787

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
कार्यालय - कार्यकारी निर्देशक, मुख्यालय, ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली-110001

विषय- सी.जी.एच.एस कार्ड बनवाने के लिए एन.ओ.सी लेने हेतु आवेदन.

मैं श्री/श्रीमति पी.पी.ओ. नं..... दिनांक को सेवानिवृति हो गया था/थी । (या)

मैं श्री/श्रीमति पी.पी.ओ. नं..... दिनांक को मेरे पति/पत्नि श्री/श्रीमतिकी मृत्यु हो गई थी ।

सीजीएचएस की एनओसी प्राप्त करने के बाद मैं कोई भी बाह्य/आंतरिक चिकित्सा का बिल, म.टे.नि.ति चिकित्सा अनुभाग को नहीं दुंगा/दुंगी । यदि मैं ऐसा करता/करती हूँ तो मेरे खिलाफ विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की जाये । कृपया करके मुझे सी.जी.एच.एस कार्ड बनवाने के लिए एन.ओ.सी जारी किया जाए ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

ऍम्पलाई संख्या.....मौबाईल न.....पता.....